NORTHERN RAILWAY

Office of the Sr. DEE (OP),
N.R., DRM Office, Firozpur.
Date: - 18.09.2026

No.516-M/O/M-I/ Special Drive/26

DEE/OP/FZR
AEE/OP/FZR, AEE/RSO/LDH &AEE/Tr/ASR.
All CCC/ FZR, LDH, JUC &ASR
All CLIs FZR Divn, CTC/FZR

SHED ORDER No. (Eect. /RSO)-19/2026

Sub:- G&SR Amendment slip No.6, dated 19.09.2026 to G&SR rule book 1983 of Northern Railway.
Ref:- Sr DOM/FZR letter no.-424-T/O/Safety Amendment Slip/FZR/2023, dated-17.09.2026.

Please find enclosed herewith a copy of the above-mentioned English and Hindi Version of G&SR Amendment slip No.6, dated 16.09.2026 to G&SR rule book 1983 of Northern Railway for your information and necessary action. All CLIs are hereby instructed to counsel all the running staff in this regard.

In context with the above amendment slip no.6 English and Hindi version, all CCC/Lobby in charge and CLIs over FZR division are also instructed to take necessary action for the purpose of revised rules for smooth and safe train operation. The compliance report should be submitted to this office for further submission to HQ.

Counsel 100 % staff through under given means.

LP/ALPs Order book.
Display on Lobby.
Display on Notice Board.

All CLIs to allotted/non allotted running staff

17/9/26
Sr. Divl. Elect.Engineer (OP)
N. Rly; Firozpur

Copy to:- CMS/ In- charge/FZR for upload on CMS.

Scanned with OKEN Scanner

NORTHERN RAILWAY

No. 424-T/O/Safety Amendment Slip/FZR/2023
Date- 17.09.2026

DRM Office,
Firozpur.

All TI's/SS over Firozpur Division.
CHC/Incharge, CHC/TT, CHC/Block,
Chief Instructor/DTTC/FZP,
All Lobbies & all TMCs over Firozpur Division.

Sub:-Amendment Slip no. 06 dated 16.09.2026 to G & SR rule book 1983, of Northern Railway.
Ref:- PCOM/NR Letter No. 403-T/190/5/Optg./AS/21 dated 18.02.2026.

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है, कि PCOM/NR द्वारा प्राप्त पत्र सलंगन कर, आपके अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है|

DA: 03

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक,
मंडल कार्यालय, फिरोजपुर

प्रतिलिपी : (i) DRM/FZR को सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित|
(ii) ADRM/FZR को सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित|
(iii) Sr. DSO/FZR, Sr. DSTE/FZR, Sr. DEN/C,I,III, HQ/FZR, Sr. DEE/TRD/FZR, Sr. DEE/O&P/FZR , Sr. DME/C&W/FZR को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित|
(iv) DOM/M/FZR, AOM/M/FZR, AOM/C/FZR, AOM/FZR & AO/ASR को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित|

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(11)

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा हाउस
नई दिल्ली
दिनांक: 16/09/2026

पत्र सं. 403-टी/190/5/एस आर/परि./21

मण्डल रेल प्रबन्धक,
उत्तर रेलवे,
दिल्ली, फिरोजपुर, जम्मू, मुरादबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।

विषयः सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 1983 का संशोधन पत्र सं. 06 दिनांक 16.09.2026 (English & Hindi version)

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 1983 का संशोधन पत्र सं. 06 दिनांक 16.09.2026 (अँग्रेजी व हिन्दी) की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। यदि हिन्दी संशोधन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति पाई जाती है, तो अँग्रेजी संस्करण को ही मान्य एवं प्रामाणिक माना जाएगा।

इसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

Sd/- 16/9
कृते महाप्रबंधक/परिचालन

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख मुख्य अभियन्ता, उत्तर रेलवे , बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CE)
2. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSO)
3. प्रमुख मुख्य विद्युत अभियन्ता, उत्तर रेलवे , बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CEE)
4. प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSTE)
5. प्रमुख मुख्ययांत्रिक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CME)
6. मुख्य चलस्टाक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (CRSE)
7. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, जम्मू, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
8. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. उत्तर रेलवे,, दिल्ली, फिरोजपुर, जम्मू, मुरादाबाद, अम्बाला एवं लखनऊ।
9. वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता, (आर एस ओ) उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, जम्मू, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
10. वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता / समन्वय, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, जम्मू, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
11. वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार अभियन्ता, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, जम्मू, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
12. वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, जम्मू, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
13. वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, जम्मू, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
14. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर रेलवे, चन्दौसी।
15. प्रभारी प्रशिक्षक, संरक्षा शिविर/मंडल परिचालन प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर, लखनऊ, धर्मपुर, कुरुक्षेत्र, कालका, शाहजहाँपुर एवं मुरादाबाद।
16. मुख्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, शकूरबस्ती (दो प्रति) कृपया उपरोक्त संशोधन पत्र सं. 06 दिनांक 16.09.2026 (English & Hindi Version) को उत्तर रेलवे गजट में प्रकाशित करें।
17. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे NCR सूबेदार गंज प्रयागराज, पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबलपुर, उत्तर पूर्व रेलवे NER गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे ECR हाजीपुर व पूर्व रेलवे ER कोलकाता।
18. Pr.COM प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, CFTM, मुख्य माल भाडा यातायात प्रबंधक, CTPM मुख्य यातायात योजना प्रबंधक, COM/G मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य & CPTM मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Northern Railway

Headquarters Office,
Baroda House,
New Delhi – 110001

AMENDMENT SLIP TO GENERAL & SUBSIDIARY RULES

Sub: Amendment Slip No. 06 dated 16.09.2026 to G&SR Rule Book 1983, of Northern Railway.

Delete the existing SR 16.03/4 and substitute as under:

SR 16.03/4: In case of level crossing gate not protected by gate signal, irrespective of being, Open to road traffic (OTRT) or Close to road traffic (CTRT) the following procedure shall be followed for opening & closing of gates:

1. **Opening of Level Crossing gate:**

   a) *After ensuring the tail board/lamps of all trains for which the private numbers had earlier been exchanged for closure of gate; the gateman will take authorization from the controlling station master under exchange of private number for opening the gate.*
   b) *The controlling station master shall authorize the gateman to open the gate with exchange of private numbers after ensuring there being no train in the section, yet to pass the gate.*
   c) *Before opening of Level Crossing Gate, the gateman shall fix the banner flag/red lamp in the direction of train on both Up and Down or multiple lines.*

2. **Closing of Level Crossing Gates:**

   a) *For closure of gate, the station master shall inform the gateman attached to its station about each and every train (train number and direction etc.) to be dispatched in the section under exchange of Private number.*
   b) *The gateman shall close the gate against the road traffic and remove the banner flag/red lamp. The gateman shall inform the station master about the closure of gate under exchange of private number.*

(Monica Agnihotri)
Principal Chief Operations Manager.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर रेलवे

मुख्यालय कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली – 110001

साधारण और सहायक नियमों का संशोधन पत्र

विषय: उत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका 1983 में संशोधन पत्र संख्या 06 दिनांक 16.09.2026.

वर्तमान स. नि. 16.03/4 को हटाएँ और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करे:

स. नि. 16.03/4: अगर लेवल क्रॉसिंग गेट, गेट सिग्नल से रक्षित नहीं है, चाहे वह सड़क यातायात के लिए खुला हो या बंद, तो गेट खोलने और बंद करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

1. लेवल क्रॉसिंग गेट को खोलना :

(क) जिन ट्रेनों के लिए गेट बंद करने से पहले गेट बंद करने का प्राइवेट नंबर आदान प्रदान किया गया था उन सभी ट्रेनों के टेल बोर्ड/लैम्प को सुनिश्चित करने के पश्चात; गेटमैन गेट खोलने के लिए नियंत्रक स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के द्वारा अनुमति लेगा।

(ख) नियंत्रक स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि खण्ड में कोई ट्रेन नहीं है, जिसने अभी गेट पार नहीं किया हो, प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के साथ गेटमैन को गेट खोलने की अनुमति देगा।

(ग) लेवल क्रॉसिंग गेट खोलने से पहले, गेटमैन अप और डाउन या मल्टीपल लाइनों पर ट्रेन की दिशा में बैनर फ्लैग/लाल बत्ती लगाएगा।

2. लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद करना :

(क) गेट बंद करने के लिए, स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से जुड़े गेटमैन को प्रत्येक ट्रेन (ट्रेन नंबर और दिशा अप/डाउन आदि) के बारे में प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के साथ जानकारी देगा जिन्हे खण्ड में भेजा जाना है।

(ख) गेटमैन सड़क यातायात के लिए गेट बंद करेगा और बैनर फ्लैग/लाल बत्ती हटा देगा। गेटमैन स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के साथ गेट बंद होने की जानकारी देगा।

डॉ. मि. अग्नि

(डॉ. मोनिका अग्निहोत्री)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

क्रमांक 403-टी/190/5/परि./एएस/21

I.Rly.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner